राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय / कोरोना / 2020 / 23229 दिनांक 08 जून, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में विभिन्न उपखण्ड़ क्षेत्रों में नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से नागरिकों में संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर कार्यालय के निम्न आदेश से **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत** निम्नांकित क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागु कर उस क्षेत्र को **Zero Mobility & Containment Area** (लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध क्षेत्र) घोषित किया गया हैं।

जिले के निम्न प्रतिबन्धित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित नहीं होने एवं प्रतिबन्धित क्षेत्र के संक्रमित व्यक्ति को जिला चिकित्सालय से पूर्ण स्वस्थ होने के उपरान्त मुक्त किये जाने से निम्न क्षेत्र में निवासरत जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से **मैं राजेन्द्र भट्ट, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड् प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के निम्न **Zero Mobility & Containment** क्षेत्रों में लागू **सख्त निषेधाज्ञा को** तत्काल प्रभाव से **प्रत्याहरित करता** हूं :–

क्र.सं.	आदेश क्रमांक, दिनांक	नाम उपखण्ड़	जीरो मोबिलिटी ऐरिया
1.	क्रमांक – 22975 दि0 – 19.05.2020	करेड़ा	**उपखण्ड़ क्षेत्र करेड़ा** की ग्राम पंचायत रामपुरिया के **ग्राम रामपुरिया** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
2.	क्रमांक – 23039 दि0 – 23.05.2020		**उपखण्ड़ क्षेत्र करेड़ा** की ग्राम पंचायत आमदला के **ग्राम अजीतपुरा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
3.	क्रमांक – 22965 दि0 – 18.05.2020	रायपुर	**उपखण्ड़ क्षेत्र रायपुर** की ग्राम पंचायत बागड़ के **ग्राम बागड़** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
4.	क्रमांक – 23067 दि0 – 26.05.2020		**उपखण्ड़ क्षेत्र रायपुर** की ग्राम पंचायत बोराणा के **ग्राम कलालखेड़ी** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
5.	क्रमांक – 23093 दि0 – 27.05.2020		**उपखण्ड़ क्षेत्र रायपुर** की ग्राम पंचायत थला के **ग्राम मोखमपुरा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
6.			**उपखण्ड़ क्षेत्र रायपुर** की ग्राम पंचायत रायपुर के **ग्राम केमुणिया** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
7.	क्रमांक – 22972 दि0 – 19.05.2020	गंगापुर	उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर की ग्राम पंचायत खांखला **के राजस्व ग्राम ममता नगर** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
8.	क्रमांक – 22975 दि0 – 19.05.2020		**उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर** में स्थित **ग्राम पंचायत पोटलां के ग्राम (मजरा) मालीखेड़ा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
9.	क्रमांक – 23063 दि0 – 26.05.2020		**उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर** के राजस्व **ग्राम कोशिथल** के मुख्य रोड़ पर खेमाणा चौराहा बस स्टेण्ड़ से गलवा चौराहा बस स्टेण्ड़ के बीच आबादी एवं चराणा बावजी एरिया बस्ती की सीमा क्षेत्र
10.	क्रमांक – 23091 दि0 – 27.05.2020		**उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर** की ग्राम पंचायत नान्दशा **के राजस्व ग्राम नान्दशा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
11.			**उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर** की ग्राम पंचायत मांझावास **के राजस्व ग्राम राथलियास** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

---------- 2

12.	क्रमांक – 22967 दि0 – 18.05.2020	माण्ड़ल	**उपखण्ड़ क्षेत्र माण्ड़ल** में **माण्ड़ल चौराहे** पर NH–79 के समीप स्थित संक्रमित व्यक्ति श्री योगेन्द्र सिंह के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये **उत्तर दिशा में** ऋषभ पेट्रोल पम्प तक **दक्षिण दिशा में** सुजुकी फैक्ट्री, सरिता धर्मकांटा, व लक्ष्मीपुरा उर्फ गुजरों का गुढ़ा के रास्ते तक **पूर्व दिशा में** स्थित कृषि भूमि की 200 मीटर की परिधी तक **पश्चिम दिशा में** माण्ड़ल चौराहे से MRF शोरूम की गली से कृष्णा कॉलोनी मुख्य ग्राम गुढ़ा रोड़ तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
13.	क्रमांक – 23023 दि0 – 22.05.2020		**उपखण्ड़ क्षेत्र माण्ड़ल** की ग्राम पंचायत सिडियास **के राजस्व ग्राम गणेशपुरा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
14.	क्रमांक – 23067 दि0 – 26.05.2020		**उपखण्ड़ क्षेत्र माण्ड़ल** की ग्राम पंचायत लेसवा **के मजरा खांखियों का खेड़ा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
15.	क्रमांक – 23051 दि0 – 23.05.2020	माण्डलगढ़	**उपखण्ड़ क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिगोद कस्बे के वार्ड नं0 11 में स्थित कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री अभिषेक पिता अमरचन्द बाबेल के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में** बस स्टेण्ड़ (सब्जी मण्डी), एन.एच. 758 तक **दक्षिण दिशा में** पटेलो की मस्जिद तक **पूर्व दिशा में** केसरीमल आगाल की दुकान, सत्तार चक्की वाले के मकान एवं मक्कड़ के कारखाने तक **तथा पश्चिम दिशा में** पुराना पोस्ट ऑफिस, शिव मन्दिर (पगारिया मोहल्ला) एवं गोपाल सेन की दुकान तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
16.	क्रमांक – 22968 दि0 – 18.05.2020	जिला मुख्यालय	भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर में स्थित स्वास्तिक हाईट को केन्द्र बिन्दू मानते हुये **उत्तर दिशा में** सेन्ट पॉल स्कूल तक **दक्षिण दिशा में** एच सेक्टर पार्क तक **पूर्व दिशा में** कुम्भा सर्किल से रामधाम रोड़ तक **पश्चिम दिशा में** रिक्त पडे भूखण्ड़ों की 200 मीटर की परिधी तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
17.			भीलवाड़ा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर (आजाद नगर) में स्थित संक्रमित व्यक्ति कृष्णा देवी/बंशीलाल छीपा के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये **उत्तर दिशा में** (महाप्रज्ञ सर्किल की तरफ) मॉ जोगणिया टेक्सटाईल तक **दक्षिण दिशा में** झाडोदिया पार्क तक **पूर्व दिशा में** चौथ माता मन्दिर तक **पश्चिम दिशा में** एम.डी. एजुकेशन स्कूल तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में
18.	क्रमांक – 23136 दि0 – 30.05.2020	भीलवाड़ा	**उपखण्ड़ क्षेत्र भीलवाड़ा** के **ग्राम भोपालगढ़ (गाड़रमाला)** में कोरोना संक्रमित व्यक्ति **श्रीमती मधुदेवी पत्नी भैरूलाल हरिजन के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में** ग्राम पंचायत भोपालगढ तक **दक्षिण दिशा में** पथवारी सर्कल तक **पूर्व दिशा में** बावड़ी जाने के रास्ते तक तथा **पश्चिम दिशा में** नौगांवा जाने की सड़क तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।

---------3

19.	क्रमांक – 23143 दि0 – 31.05.2020	भीलवाड़ा	**उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा** की ग्राम पंचायत आरजिया के **ग्राम भदालीखेड़ा** में कोरोना संक्रमित व्यक्ति **श्रीमती नूरजहां पत्नी रशीद खां पठान के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में** कोठारी नदी तक **दक्षिण दिशा में** कोटा बाईपास तक **पूर्व दिशा में** नुरानी मस्जिद तक तथा **पश्चिम दिशा में** अजमेर–भीलवाड़ा रोड़ तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून 2020 को सांय 5.00 बजे से मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
03. संभागीय आयुक्त, अजमेर
04. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
05. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
06. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
07. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन / शहर) भीलवाडा
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
09. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर, करेड़ा, गंगापुर, माण्ड़ल, माण्ड़लगढ़ एवं भीलवाड़ा
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट / तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
12. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा
13. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा